[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 07/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2021

सा.का.नि. .... (अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 , वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) और वित्त विधेयक 2021 (2021 का 15) के खंड 116, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>अधिसूचना सं. और तारीख</th><th>संशोधन</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>10/2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा. का. नि. 136(अ) तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित है ।</td><td>उक्त अधिसूचना में, -

(i) प्रस्तावना में, “और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3)” शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर “वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है” शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) सारणी में क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

<table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr><tr><td>“4.</td><td>अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)</td><td>वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है ।”</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>11/2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा. का. नि. 137(अ) तारीख</td><td>उक्त अधिसूचना में, -

“और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के</td></tr>
</table>

	2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित है ।	अधीन उदग्रणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क" शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर", वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है" शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे ।
3.	12/2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा. का. नि. 138(अ) तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित है ।	उक्त अधिसूचना में, - "और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क" शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर", वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है" शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे ।
4.	13/2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा. का. नि. 139(अ) तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित है ।	उक्त अधिसूचना में, - "और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क" शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर", वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है" शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार